

राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल गठित

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 को राज्य शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसहि पटेल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया।

प्रमुख बंदि

- केंद्र शासन के दशिया-नरिदेशानुसार गठति मंडल में अध्दयकष कार्द परषिद मध्दय प्रदेश गो-पालन एवं पशुधन संवरधन बोर्ड उपाध्दयकष और अपर मुख्दय सचवि पशुपालन सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में वध्दियक, अशासकीय परतनिधि और पशु कल्याण से जुडी संस्थाएँ शामिल की गई हैं।
- समति पशुओं के परत कूरता एवं बरताव के नवारण, पशुओं के परविहन में उपयोग, पशुओं के लयि शेड, पानी, चकित्सा सहायता आदि के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर सुझाव देगी।
- वध्दियकों में सुमतिरा देवी कासडेकर और राम दांगोरे, गृह वभिग के अपर मुख्दय सचवि और वन, शकिषा, पंचायत एवं ग्रामीण वकिस और नगरीय परशासन एवं वकिस वभिग के प्रमुख सचवि, पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ), संचालक पशुपालन एवं डेयरी वभिग, प्रबंध संचालक पशुधन एवं कुक्कुट वकिस नगिम और भारतीय वन जीव कल्याण बोर्ड के परतनिधि को सदस्य नामांकति कयिा गया है।
- अशासकीय सदस्यों में कैलाश ललवानी गोपाल गोशाला नलखेडा ज़िला आगर-मालवा, वैदपाल झा केदारधाम गोशाला एवं जैव कृषि अनुसंधान केंद्र केदारपुर ज़िला ग्वालियर, प्रमोद नेमा भोपाल, जतिंदर नरोलया इंदौर और शंकर लाल पाटीदार कामधेनु सेवा संस्थान इमलया जिला रायसेन शामिल हैं।
- पशु कल्याण से जुडी संस्थाओं में गो सेवा आश्रम देवरी ज़िला मुरैना, एनमिल कयोर एंड केयर ग्वालियर, श्री गोस्वामी रामानंद गोशाला गुना, श्री कृषण गोशाला सेवा आश्रम कूसमानया ज़िला देवास, एनमिल एंड एनवायरनमेंट केयर ऑर्गनाइजेशन भोपाल, कामधेनु गोशाला भोपाल, श्री कृषण गोशाला एवं गो-संवरधन समति सरिंज, त्रविणी गोशाला बैतूल, श्री दयोदय पशुधन संरक्षण समति हरदा और जन-जागरण एजूकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसायटी मकरोनया ज़िला सागर भी बोर्ड के सदस्य होंगे।
- इस सलाहकार मंडल के प्रमुख कार्द हैं-
 - पशुओं के परत कूरता का नवारण अधनियम, 1960 के उपबंधों का पर्यवेक्षण एवं परशासन को सलाह देना।
 - पशुओं के परत कूरता या बरताव के संबंध में शासन को सलाह देना।
 - पशुओं के परविहन में उपयोग होने वाले यानों की संरचना में सुधार हेतु शासन, परशासन या यान स्वामी को सुझाव देना।
 - पशुओं के लयि शेड, पानी, चकित्सा सहायता हेतु नरिणय लेना।
 - पशुवध गृहों की संरचना, रख-रखाव के संबंध में शासन और स्थानीय प्राधकिरणों को आवश्यक सुझाव देना।
 - आवारा पशुओं को पकड़ते समय उन्हें यातना और दर्द से नजिात दलाने के लयि आवश्यक कदम उठाना।
 - असहाय, वृद्ध पशुओं और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा करने वाली संस्थाओं को पजिरा, बल्लयिाँ, आश्रय स्थल के नरिमाण आदि के लयि आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराना।
 - पशु कूरता नवारण के क्षेत्र में कार्दरत् संस्थाओं को आवश्यक सहयोग देना।
 - पशुओं को सामान्यतः दी जाने वाली अनावश्यक यातनाओं के वरिद्ध लोगों को जागरूक करना और पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देना शामिल हैं।